



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलौर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.980

**मद/For Item : “ स्पूरियस सिग्नल सप्रेसर यूनिट पार्ट सं.एसएसएस एएन-32”/
SPURIOUS SIGNAL SUPPRESSOR UNIT PART No. SSS AN-32**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स इलेक्ट्रानिक रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट सेंटर ऑफ इंडिया, ईआर एण्ड डीसीआई का यूनिट, वेल्लायंबलम, तिरुवनंतपुरम - 695 033 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित “स्पूरियस सिग्नल सप्रेसर यूनिट” टाइप एसएसएस एएन-32, आरेखन सं.डीएमए पीई 0420005 इश्यू सं.निल, जो कि एएन-32 वायुयान में इस्तेमाल होता है, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(कानपुर), कानपुर - 208008 के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल संख्या सीआरई/63/5/एस/टेक दिनांक 30 जून 1997 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न “वर्गरिकार्ड कम्प्लायंस स्टेटमेंट” में विवरित विवरण/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

This is to certify that the “Spurious Signal Suppressor Unit” Type SSS AN-32, designed, developed and manufactured by M/s Electronic Research and Development Centre of India, Unit of ER & DCI, Vellayambalam, Thiruvananthapuram - 695 033, is hereby approved for production as per drawing No. DMA PE0420005 Issue No. Nil for use on An-32 aircraft. It has been tested to Test schedule No.CRE/63/5/S/Tech dated 30.06.1997, in co-ordination with RCMA(Kanpur), Kanpur-208008. It meets requirements of specification/tests, as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीस नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है ।

This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2007 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(कानपुर) से अनुरोध करना होगा ।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2007 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Kanpur), for subsequent renewal three months before the expiry of type approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी ।

Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification, (CEMILAC) Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record enclosed are effected.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट'-ए', /Appendix-'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/F-188/टी.ए/TA- 980

दिनांक/Date : 25 Oct 2002

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

G. Lokanatha

(जी.लोकनाथ/G.LOKANATHA)

स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Offg Chief Executive(Airworthiness)

24/10/12 *25/10/12*